राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः– एफ 165( )लेखा/ SPPP/2016 19452 जयपुर, दिनांकः– 07.11.2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद –समस्त।

विषयः– स्टैट पब्लिक प्रोक्यूमेंट पोर्टल(SPPP) के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति बाबत

प्रसंग :– वित्त (SPFC) विभाग के अ.शा. पत्रांक एफ 4(1)वित्त/SPFC/2013 दिनांक 28.10.2016

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 17 के अनुसार ई प्रोक्योरमेंट की स्थिति में निम्नलिखित सूचनाऐं राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशित करना बाध्यकारी है–

(क) पूर्व अर्हता दस्तावेज,बोली लगाने के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज,बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली–पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो, और उसके शुद्धि–पत्र,

(ख) पूर्व–अर्हता या, यथास्थिति,बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होने बोली लगाई हो,

(ग) पूर्व–अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची,

(घ) धारा 25 के अधीन ,कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची,

(ड.) धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय,

(च) सफल बोली का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा ,

(छ) बोली लगाने वालों, जिन्हे राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, की विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कारवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि ,

(ज) कोई अन्य सूचना जो विहित की जाये।

अधिनियम की पालना हेतु वित्त विभाग ने संदर्भित पत्र के माध्यम से जिला परिषद् तथा पंचायत समिति स्तर पर नोडल अधिकारी घोषित करने के निर्देश दिये है। अतः जिला परिषद् स्तर पर वरिष्ठ लेखाधिकारी /लेखाधिकारी अथवा किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी घोषित किया जा सकता हैं। आपके द्वारा इनमें से किसी अधिकारी को तीन दिवस में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति स्तर पर सहायक अभियंता/सहायक लेखाधिकारी एवं अन्य राजपत्रित अधिकारी को उक्त अधिनियम की पालना हेतु नोडल अधिकारी घोषित किया जा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन प्रत्येक पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी की नियुक्ति के आदेश तीन दिवस में जारी कर दिये जावें ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विकास अधिकारी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 17 में वर्णित उपर्युक्त कार्यवाही की नोडल अधिकारियों से नियमित रूप से पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारियों के सहयोग के लिये जिला परिषद् / पंचायत समिति में कार्यरत कम्प्युटर– कर्मी को भी निर्देशित करें।

sd

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांकः– एफ 165( )लेखा / SPPP / 2016 19453-56 जयपुर, दिनांकः– 07.11.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद –समस्त।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त को भेजकर लेख है कि तीन दिवस में पालना करें।
4. ए.सी.पी. मुख्यालय को शासन सचिव वित्त (बजट) के संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर लेख है कि जिला परिषद् के नोडल अधिकारियों एवं कम्प्युटर आपरेटर के लिये राज्य लोक उपापन पोर्टल का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावें।

शासन सचिव एवं आयुक्त